

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

केस संख्या 53/2015

टीलू राऊत वगैरे - बनाम धाजू वगैरे

उपायुक्त (मदिकार) - मन्वेलापुडा, एमडु

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/12/25	पत्रावली पेश हुई। <u>P.O. की मन्वेलापुडा</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तबबी/जवाब दिनांक <u>10/1/25</u> को पेश है	
	10/1/25	पत्रावली पेश हुई। <u>P.O. की मन्वेलापुडा</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तबबी/जवाब दिनांक <u>30/1/25</u> को पेश है	
	30/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उमर पत्र उपायुक्त मन्वेलापुडा ने कुर्देगा लिपि पेश की। डि. शारिफ जमान किशन उपायुक्त वकील उमर पत्र पत्र कुर्देगा का मन्वेलापुडा किशन उपायुक्त मन्वेलापुडा की। मन्वेलापुडा उपायुक्त पत्र की उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त का मन्वेलापुडा किशन उपायुक्त। उपायुक्त वकील मन्वेलापुडा उपायुक्त दिनांक 03/2/25 को पेश है	
	03/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उमर उपायुक्त पत्रावली मन्वेलापुडा किशन उपायुक्त। उपायुक्त का मन्वेलापुडा किशन उपायुक्त उपायुक्त वकील उमर पत्र की उपायुक्त का उपायुक्त किशन उपायुक्त। मन्वेलापुडा उपायुक्त का उपायुक्त मन्वेलापुडा किशन	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

क्रमांक

मिसल नं.
53 / 2015

५

तारीख दायर
27 / 04 / 2015

तारीख फैसला
03 / 02 / 2025

1. टोलूराम पुत्र मोती
 2. ळाबू पुत्र काना
 3. लल्लू पुत्र काना
 4. रामगोपाल उर्फ गोगा पुत्र काना
 5. रेवड पुत्र रामू
 6. मूलचन्द पुत्र मांग्या
 7. लादू पुत्र जीवन
 8. रूडाराम पुत्र छोटू
- समस्त माली निवासी राहौरी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

५

वादीगण

बनाम

1. छाजू पुत्र चौथू
 2. भगवान सहाय पुत्र चौथू
 3. हेमा पुत्र छाजू
- जाति माली निवासी राहौरी तहसील जमवारामगढ़ जयपुर।
4. गोपाल पुत्र स्व0 रूपनारायण
 5. कमल पुत्र स्व0 रूपनारायण
 6. सीताराम पुत्र स्व0 रूपनारायण
 7. वाबूलाल पुत्र स्व0 रूपनारायण
 8. घासी पुत्र स्व0 रूपनारायण
 9. महादेव पुत्र स्व0 भगवान पि0 स्व0 गंगू
 10. छोटूराम पुत्र स्व0 भगवान पि0 स्व0 गंगू
 11. रामफूल पुत्र स्व0 कालूराम
 12. सोहनलाल पुत्र स्व0 रामनारायण
 13. बालचन्द पुत्र स्व0 रामनारायण
 14. रामजीलाल पुत्र स्व0 रामनारायण
- जाति माली निवासी राहौरी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
15. प्रभात पुत्र ग्यारसीलाल
- जाति मीना निवासी राहौरी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
16. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़, जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपरिस्थित अभिभावक

श्री महेश शर्मा :- वकील वादीगण।

श्री राजेश कुमार वर्मा :- वकील प्रतिवादी सं0 2, 3, 9, 12, 13, 14

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :-

वादीगण की ओर से एड0 श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस थन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 5.500 है0, स्थित ग्राम राहौरी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त पत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नहीं कराया गया। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार हक व हिस्से एवं उनके को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग लग कायम किया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 19.05.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट र बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम राहौरी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के नेम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
गेलीरम पुत्र मोती हि0 1/30, कमल, गोपाल, आसीराम, बाबूलाल, सीताराम पि0 रूपनारायण हि0 /30, गंगू पुत्र लादिया हि0 1/15, रेवड पुत्र रामू हि0 1/15, लल्लू, रामगोपाल, हाबू पि0 काना हि0 /15, दीपचन्द, बाबूलाल, मदनलाल, राजेश, जालाराम पि0 तेजाराम हि0 1/63, हनुमान, शंभू दयाल, नेहनूराम, रामसहाय पि0 लादू, मुन्ना पुत्री लादू हि0 5/63, भंवरी उर्फ भौरी पत्नि लादू हि0 5/21, भगवान सहाय पुत्र चौथू हि0 1/15, रामफूल पुत्र कालूराम हि0 1/12, रामनारायण पुत्र मांग्या हि0 1/24, हेमराजू पुत्र छाजूराम हि0 1/15, रूडमल पुत्र छोटू हि0 1/30, कैलाशचन्द पुत्र मूलचन्द, मोती देवी पत्नि स्व0 मूलचन्द हि0 1/24 जाति माली सा0देह, छोटूराम, दिनेश कुमार, पप्पू पि0 प्रभात, मंजू देवी पुत्री प्रभात जाति मीणा सा0देह खातेदार	483	5.25	बारानी 3	10.50
योग	किता 1	5.25	-	-



-: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
टोलूराम पुत्र मोती हि० 1/10, कमल गोपाल, सीताराम, बाबूलाल, घासीराम पि० रूपनारायण हि० 1/10, रेवड पुत्र रामू हि० 1/5, गंगू पुत्र लादिया हि० 1/5, रामगोपाल, लल्लू, हाबू पि० काना हि० 1/5 जाति माली, छोटूराम, दिनेशकुमार, पप्पू पि० प्रभात, मंजू देवी पुत्री प्रभात हि० 1/5 जाति मीणा सा०देह खातेदार	483/4 483/6 483/7 483/10	0.3540 0.3600 0.6000 0.3560	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	-
योग	किता 4	1.6700	-	1-
नेहनूराम, रामसहाय, हनुमान, शंभूदयाल पि० लादू हि० 4/21, मुन्ना पुत्री लादू हि० 1/21, भंवरी उर्फ भौरी पत्नि लादू हि० 5/7, दीपचन्द, मदनलाल, बाबूलाल, राजेश, लालाराम पि० तेजाराम हि० 1/21 जाति माली सा०देह खातेदार	483/3 483/5 483/9 483/12	0.3540 0.3600 0.3760 0.5800	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	-
योग	किता 4	1.6700	-	-
भगवान सहाय पुत्र चौथ्या हि० 1/2, हेमराम पुत्र छाजूराम हि० 1/2 जाति माली सा०देह खातेदार	483/1 483/11	0.4800 0.1880	बारानी 3 बारानी 3	-
योग	किता 2	0.6880	-	-
रामफूल पुत्र कालूराम हि० 4175/10020, रुडमल पुत्र छोटू हि० 1670/10020, ग्नीदेवी पत्नि मूलचन्द, कैलाशचन्द पुत्र मूलचन्द हि० 2087/10020, रामनारायण पुत्र मांग्या हि० 2088/10020 जाति माली सा०देह खातेदार	483/2 483/8	0.5210 0.5010	बारानी 3 बारानी 3	-
योग	किता 2	1.002	-	-
शामलात	483/13	0.2400	बारानी 3	-
योग	किता 1	0.240	-	-

उक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इवित्नाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के ने मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया । अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

नेर्णय आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।


 उपखण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ